माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 05.04.2017 को आयोजित "नगर विकास एवं आवास विभाग" की समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय/कार्यवाही :–

- DFID-SPUR कार्यक्रम का दिनांक 31.03.2017 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा अपने स्तर से PMU रखने की कार्रवाई की जाय। विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री निश्चय योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण भी PMU के माध्यम से किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड को छोड़कर, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अपना एक अलग Engineering structure गठित करने हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति के अनुमोदन हेतु प्रेषित है। इसे शीघ्र मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों एवं नगरपालिका प्रशासन निदेशालय के पुनर्गठन से संबंधित संलेख प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति के लिए उपस्थापित है। इसे शीघ्र मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया जाय।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की जलापूर्ति योजनाओं के हस्तान्तरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि इस हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करके योजनाओं के आदान–प्रदान के लिए नीति निर्धारण सुनिश्चित कराया जाय। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) से जलापूर्ति योजना take over करने से पूर्व नगर विकास एवं आवास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नये सिरे से ऐसी सारी योजनाओं की संयुक्त सूची बनाते हुये दोनों विभागों द्वारा इसका सत्यापन किया जाय तथा स्थल निरीक्षण करके प्रत्येक योजना के पूर्ण/अपूर्ण कार्यों का प्रतिशत भी इंगित किया जाय। तत्पश्चात मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कर हस्तांतरण हेतु व्यवस्था एवं तिथि (target date) निर्धारित की जाय।
- पिछली समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय के बावजूद पटना नगर निगम को अलग से 2–8 सशस्त्र बल एवं 28 लाठी बल उपलब्ध नहीं हो सका है। निर्देश दिया गया कि इसका अनुपालन अविलंब सुनिश्चित कराया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य के 12 नगर निगमों में निगम परिसर में ही ओ०पी० बनाकर आरक्षी बल रखने के संबंध में विचार किया जाए।
- नगर निकायों के मुख्य पार्षद के सीधे निर्वाचन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि सीधे निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाया जा सकेगा या नहीं–इस संबंध में वैधिक स्थिति की समीक्षा की जाए।
- निगम क्षेत्रों के आवासीय परिसरों में व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित होने पर चिन्ता व्यक्त की गयी। निर्देश दिया कि वैसे आवासीय परिसरों को चिह्नित कर व्यवसायिक Property Tax वसूली की कार्रवाई की जाय।
- पटना नगर निगम क्षेत्र से अतिक्रमण को अविलम्ब हटाने की कार्रवाई की जाय।

- पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप बिहार राज्य आवास बोर्ड, अपनी सभी परिसम्पत्तियों की घेराबन्दी शीघ्र पूर्ण कराये। बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा कंकड़बाग क्षेत्र को आवासीय एवं व्यवसायिक गतिविधियों के लिए विकसित किये जाने के संबंध में एक कार्य योजना तैयार किया जाय।

- वैसे शहरी स्थानीय निकायों, जिनकी आबादी दो लाख से अधिक हो, उनमें वार्ड समिति का विधिवत गठन किया जाय। इस हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में आवश्यकतानुसार अपेक्षित संशोधन के संबंध में विचार किया जाए।

- Bihar Real Estate (Regulation & Development Rules) 2017 के प्रस्तुतिकरण के उपरांत निर्णय लिया गया कि अधिनियम के प्रभावी होने के तीन वर्ष पूर्व से प्रारंभ एवं निर्माणाधीन किये गये परियोजनायें नियमावली के अंतर्गत शामिल करने के संबंध में समीक्षा कर ली जाए तथा Promoters एवं Real Estate Agents के पंजीकरण में आधार कार्ड की अनिवार्यता का प्रावधान नियमावली में देने के संबंध में सभी दृष्टिकोण से विचार कर लिया जाए।

- Bihar Real Estate (Regulation & Development Rules) 2017 का माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर किये गये प्रस्तुतीकरण के पश्चात् दिये गये निर्देश के आलोक में संशोधन करके संलेख प्रारूप तैयार कर वित्त विभाग एवं विधि विभाग की सहमति प्राप्त कर शीघ्र मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की जाय।

- सामुदायिक शौचालय में प्रति परिवार एक सीट की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय। अतिक्रमित/अवैध रूप से जमीन पर बसे हुए परिवारों को उनके आवासित एवं आवंटित (allotted) भूमि पर ही शौचालय उपलब्ध करायी जाय तथा HFA/अन्य आवास योजना के तहत शौचालय निर्माण सहित आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था रखी जाय।

- मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत जिन योजनाओं के लिए राशि का पूर्ण आवंटन उपलब्ध है एवं विधिवत् स्वीकृति दी जा चुकी है, उनकी सूची तैयार करते हुए वैसे कार्यों को पूर्ण कराया जा सकता है, जिसके लिए योजना समाप्त होने के समय राशि सरकार से पूर्ण आवंटित थी। पूर्व में जिन योजनाओं की स्वीकृति नहीं दी गयी है, उन्हें मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत नहीं लिया जाना चाहिए।

24/4/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2854 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 24/4/17

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

24/4/2017
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2854 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 24/4/17

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/4/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2854 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 24/4/17

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2017

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2854 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 24/4/17

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2017

प्रधान सचिव